(96)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 3104-दो/2014 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 25-7-2014 पारित द्वारा तहसीलदार, सीहोर जिला सीहोर - प्रकरण क्रमांक 142 अ-12/2013-15

1- प्रकाश पुत्र मिश्रीलाल
2- श्रीमती अयोध्यावाई पत्नि मिश्रीलाल
3- महेश पुत्र मिश्रीलाल
4- बिनोद पुत्र मिश्रीलाल
5- अशोक पुत्र मिश्रीलाल
सभी निवासी इन्दौर नाका सीहोर ---आवेदकगण

विरूद्ध

सुदेश राय पुत्र गेंदालाल
ग्राम बढ़ियाखेड़ी तहसील सीहोर
जिला सीहोर मध्य प्रदेश --अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री प्रेम सिंह ठाकुर)
((अनावेदक के अभिभाषक श्री नीरज श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 07-6-2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, सीहोर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 142 अ-12/2013-15 में पारित आदेश दिनांक 25-7-14 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार सीहोर के समक्ष

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम कस्वा सीहोर की भूमि सर्वे कमांक 949 एंव 1059/1 के सीमांकन कराये जाने की प्रार्थना की। तहसीलदार सीहोर ने प्रकरण कमांक 142 अ-12/2013-14 पॅजीबद्व किया तथा राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया जाकर आदेश दिनांक 25-7-14 पारित करके राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि उभय पक्ष के बीच कस्वा सीहोर की भूमि सर्वे कमांक 949 एंव 1059/1 के अतिरिक्त भूमि सर्वे कमांक 1058, 1060, 1061 एंव 1062 के स्वत्व का विवाद माननीय अपर सत्र न्यायाधीश सीहोर के न्यायालय में कमांक 120 ए/2014 पर प्रचलित होकर दिनांक 8-9-15 से निर्णीत हुआ है आवेदक के अभिभाषक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में **M.A.NO. 2096/2015** में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 11-12-15 की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये बताया कि माननीय उच्च न्यायालय से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश हैं इसलिये तहसीलदार का सीमांकन आदेश प्रभावशून्य है जो निरस्त किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 11-12-15 इस प्रकार है -

Till th next date of hearing parties are directed to maintain status-quo as it esists today.

तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार सीहोर ने सीमांकन आदेश दिनांक 25-7-14 में अंकित किया है कि -

- तत्तपश्चात आपत्तिकर्ता भी उपस्थित रहे। अतः संपूर्ण तथ्यों के विचारण पश्चात सीमांकन प्रतिवेदन **exp I से exp ।।** प्रमाणित किया जाता है जो सीमांकन आदेश का स्थाई अंग होगा। साथ ही यह भी उभय पक्षों को विधिक सलाह दी जाती है सीमांकन से केवल मुताविक स्वत्व एंव नवशा सीमा का ज्ञान

कराया जाता है कोई स्वत्व निर्णीत नहीं होता है किसी को बेदखल या कब्जा दिलाने की कार्यवाही नहीं किया जाता है जब तक इस संबंध में कोई सक्षम न्यायालयों का निर्देश नहीं हो। *

विचाराधीन प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का आदेश दिनांक 11-12-15 को पारित हुआ है जबकि तहसीलदार का सीमांकन आदेश दिनांक 25-7-14 है जिसके कारण तहसीलदार द्वारा दो वार राजस्व निरीक्षक को स्थल पर भेजकर विधिवत् कराये गये सीमांकन में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई नहीं देती है वैसे भी तहसीलदार ने आवेदकगण को भी सीमांकन आदेश पारित करने के पूर्व आहुत करके पक्ष रखने का एंव सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया है जिसके कारण तहसीलदार का सीमांकन आदेश दिनांक 25-7-14 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार, सीहोर जिला सीहोर द्वारा प्रकरण कमांक 142अ-12/2013-15 में पारित आदेश दिनांक 25-7-14 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर